



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2 () परावि/प्रशा.1/वि.अ./संस्था/APO/स्थाना/पद./2017/1915 जयपुर दिनांक 29/9/19


—:आदेश :-

निम्नलिखित विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर राज्यहित में तत्काल प्रभाव से किया जाता है:-

क्र.स.	नाम अधिकारी सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	कहां से	कहां को	विशेष विवरण
1.	दिनेश कुमार शर्मा	आदेशों की प्रतीक्षा में	लक्ष्मणगढ (अलवर)	रिक्त पद पर
2.	रमेश चन्द मीणा	कपासन (चित्तौड़गढ) स्थानान्तरणाधीन	बहरोड (अलवर)	रिक्त पद पर
3.	नरपत सिंह भाटी	सहायक परियोजना अधिकारी (एस.जी.एस.वाई), जिला परिषद जैसलमेर	पीपाडशहर (जोधपुर)	रिक्त पद पर
4.	प्रियंका मीणा	आदेशों की प्रतीक्षा में	सहायक परियोजना अधिकारी (एस.जी.एस.वाई), जिला परिषद टोंक	-
5.	दिव्या राठौड	सहायक परियोजना अधिकारी (एस.जी.एस.वाई), जिला परिषद भरतपुर	प्राचार्य, पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र भरतपुर	-
6.	सविता राठौड	डग (झालावाड)	हुरडा (भीलवाडा)	रिक्त पद पर
7.	मीना नीरू तुलसीराम	हुरडा (भीलवाडा) स्थानान्तरणाधीन	परियोजना अधिकारी (एस.जी.एस.वाई), जिला परिषद जयपुर	-

श्री महेश कुमार चौहान विकास अधिकारी पंचायत समिति पाली जिला पाली को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जाकर निर्देशित किया जाता है कि तत्काल पंचायती राज विभाग, मुख्यालय जयपुर में उपस्थिति दें।


उक्त अधिकारी अविलम्ब प्रदत्त निर्देशों के अनुसार कार्यमुक्त होकर अपनी उपस्थिति आदेशानुसार प्रस्तुत करेंगे अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी। इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।


(सैस्व चतुर्वेदी)

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त(प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपरा एवं राज्य मिशन निदेशक, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान राजस्थान जयपुर।
7. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
8. निजी सहायक, संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त (प्रशिक्षण), पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल प्राधिकरण, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
10. सभागीय आयुक्त, संबंधित।
11. जिला कलक्टर, संबंधित।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित।
13. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित।
14. विकास अधिकारी पंचायत समिति संबंधित।
15. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
16. ए.सी.पी मुख्यालय को आदेश की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
17. आदेश पत्रावली।


संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त(प्रशा.1)